केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवास संगठन

संगम ज्ञापन

1. सोसायटी का नाम

सोसायटी का नाम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी आवास संगठन होगा (इसके बाद से के.स.क.क.आ.सं. नाम से पुकारा जाएगा)

2. सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय

सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली संघ क्षेत्र में होगा और वर्तमान में यह जनपथ भवन, छठा तल, 'ए' विंग, जनपथ, नई दिल्ली- 110001 में स्थित है।

3. लक्ष्य एवं उद्देश्य

लक्ष्य एवं उद्देश्य जिसके लिए सोसायटी की स्थापना हुई उसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैंः

1. केन्द्रीय सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों, मृत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पति/पत्नी के लिए और समाज की सेवा में लगे कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के मामले में पति/पत्नी के लिए लाभ निरपेक्ष आधार पर सामाजिक कल्याण योजनाएं चलाने के साथ-साथ आवासों के निर्माण को बढ़ावा देने तथा आवास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी संभावित सहायता और आवश्यक निर्देश देना।

2. वो सभी उपाय करना जो उपरोक्त उद्देश्यों या उनमे से किसी को भी पूरा करने के लिए जरूरी करना आवश्यक हो।

4. सोसायटी की सभी आय उपार्जन चल-अचल संपत्तियों जो जहां कहीं से भी और जैसे भी प्राप्त की गई हो उसका उपयोग जैसा भी संगम ज्ञापन में निर्धारित किया गया है केवल उसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। लाभ निरेपक्ष संगठन होने के नाते अलाभों को लाभाशों, बोनस, लाभ के माध्यम से तैयार उसका हस्तांतरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या किसी भी तरीके से सोसायटी के वर्तमान या पूर्व लाभार्थियों या वर्तमान या पूर्व लाभार्थियों में से किसी एक या उससे अधिक के माध्यम से कोई व्यक्ति दावा करें बशर्ते उसमें उल्लिखित कोई भी धारा किसी भी सदस्य द्वारा सोसायटी के लिए की गई सेवा के पारिश्रमिक के भुगतान को देने में बाधा न हो। सोसायटी की किसी भी चल अचल संपत्तियों पर सोसायटी के किसी भी सदस्य का निजी दावा नहीं होगा और उसे किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं होगा।

5. शासी परिषद

सोसायटी पंजीकरण अधिनिय, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के अनुच्छेद के अधीन जैसा कि संघ दिल्ली क्षेत्र के लिए विस्तारित के.स.क.क.आ.सं. के कार्यों के लिए नियुक्त किए गए शासी परिषद के वर्तमान पदेन सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय निम्न प्रकार से हैंः

क्र.सं.	नाम एवं आवासीय पता श्रीमती श्री	व्यवसाय	सोसायटी में पदनाम
	के.सी. श्रीशिवरामाकृष्णन सी.11/81 मोती बाग	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
	जी.एन. टंडन 4/3, एमएस फ्लैट्स शाहजहां रोड़, नई दिल्ली - 110011	अतिरिक्त सचिव, (व्यय) वित्त मंत्रालय	सदस्य
	के.एल. मोहनपूरियां, डी-51, सरकारी क्वाटर्स	अतिरिक्त सचिव (नियम संबंधी सदस्य विभाग) विधि मंत्रालय	सदस्य
	एम. दंडापानी डी7/1,एस -13, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 23	सचिव कार्मिक, पीजी एवं पैंशन मंत्रालय	सदस्य
	श्रीमती कृष्णा सिंह, डी-1/127, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव (स्टाफ कल्याण) कार्मिक, पीजी एवं पैंशन मंत्रालय	सदस्य
	पी.एस.ए. सुन्दरम, सी-1-1, एमएस फ्लैट्स, एस-13, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव, (आवास) शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
	एस. के. शर्मा, 241, एशियाड़ विलेज, नई दिल्ली - 49	अध्यक्ष सह-प्रबंधन निदेशक, हुडको	सदस्य
	बी.भट्टाचार्या, सी-11/57, मोती बाग, नई दिल्ली -02	संयुक्त सचिव (वित्त) शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य
	शशिभूषण राव, 112/6, यूनिट ॥	स्टाफ की ओर से नेता राष्ट्रीय परिषद (जीसीएम)	सदस्य
	ए.के. समातरे, डी-॥ /ए/65, नानकपुरा, नई दिल्ली	निदेशक, (आवास) शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य-सचिव-एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	पी.आर. रामाकृष्णन,	निदेशक, (वित्त)	सदस्य (कोषाध्यक्ष)

	डी-II /2, किदवईनगर, दिल्ली	शहरी विकास मंत्रालय	

6. हम अद्योहस्ताक्षरी सोसायटी अर्थात 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के ग्ग्प् (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के तहत कल्याण आवास संगठन के रूप में एसोसिएशन के इस समझौते ज्ञापन के अनुसरण में जैसाकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए बढ़ाया गया है, बनाने के इच्छुक हैः

क्र.सं.	नाम एवं आवासीय पता श्रीमती श्री	व्यवसाय	हस्ताक्षर
	के.सी. श्रीशिवरामाकृष्णन सी.11/81 मोती बाग	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	ह०/-
	जी.एन. टंडन 4/3, एमएस फ्लैट्स शाहजहां रोड़, नई दिल्ली - 110011	अतिरिक्त सचिव, (व्यय) वित्त मंत्रालय	ह०/-
	के.एल. मोहनपूरियां, डी-51, सरकारी क्वाटर्स	अतिरिक्त सचिव (नियम संबंधी सदस्य विभाग) विधि मंत्रालय	ह०/-
	एम. दंडापानी डी7/1,एस -13, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 23	सचिव कार्मिक, पीजी एवं पेंशन मंत्रालय	ह०/-
	श्रीमती कृष्णा सिंह, डी-1/127, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव (स्टाफ कल्याण) कार्मिक, पीजी एवं पेंशन मंत्रालय	ह०/-
	पी.एस.ए. सुन्दरम, सी-1-1, एमएस फ्लैट्स, एस-13, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	संयुक्त सचिव, (आवास) शहरी विकास मंत्रालय	ह०/-
	एस. के. शर्मा, 241, एशियाड़ विलेज, नई दिल्ली - 49	अध्यक्ष सह-प्रबंधन निदेशक, हुडको	ह०/-
	बी.भट्टाचार्या,	संयुक्त सचिव (वित्त)	ह०/-

	सी-11/57, मोती बाग, नई दिल्ली -02	शहरी विकास मंत्रालय	
	शशिभूषण राव, 112/6, यूनिट ॥	स्टाफ की ओर से नेता राष्ट्रीय परिषद (जीसीएम)	ह०/-
	ए.के. समातरे, डी-॥ /ए/65, नानकपुरा, नई दिल्ली	निदेशक, (आवास) शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य-सचिव-एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	पी.आर. रामाकृष्णन, डी-॥ /2, किदवईनगर, दिल्ली	निदेशक, (वित्त) शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य (कोषाध्यक्ष)
	बी.के. चक्रवर्ती, ए10 फ्लैट्स, कुतुब एनक्लेव, नई दिल्ली - 16	कार्यपालक निदेशक (परियोजना) एमआईजी हुडको	ह०/-
	उमाराव पुरोहित, 1पोतेदार एस्टेट मालड़ (पूर्व) बोम्बे-64	स्टाफ की ओर से सचिव राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम)	ह०/-
	बी.के. डे. मुख्य कल्याण डी-॥ /61, एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली	अधिकारी , कार्मिक पीजी एवं पेंशन मंत्रालय	ह०/-

क्र सं. 1 से 14 हस्ताक्षर सत्यापित हैं।

ह/-

(एच.के.घोष),

अवर सचिव (आवास)

शहरी विकास मंत्रालय

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन

के नियम एवं विनियमों

(मुख्य पृष्ठ)

<u>सोसायटी का नाम एंव पताः</u>

1. "सोसायटी" का अर्थ होगा "केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन" जिसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और सोसायटी के कर्मियों (सेवारत के साथ-साथ सेवानिवृत्त /अवकाश ग्रहण करने वाले) के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने, नियंत्रण और पूरे भारत वर्ष में "न लाभ न हानि" आधार पर विभिन्न चुनिंदा स्थानों पर आवास के विकास के समन्वय के उद्देश्य के साथ की गई थी। सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित होगा और वर्तमान में 'निर्माण भवन' मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110011 के रूप में कार्य करेगा।"

2. <u>साधारण निकाय</u>

i) संगम ज्ञापन के पैरा 6 के अनुसार साधारण निकाय में 14 सदस्य होंगे।

ii) साधारण निकाय की सदस्यता 30 से ज्यादा नहीं होंगी।

iii) समय समय पर नए सदस्यों का प्रवेश और परिवर्तन का निर्णय शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

iv) साधारण निकाय की जरूरत पड़ने पर बैठक होगी, लेकिन यह बैठक साल में एक बार से कम नहीं होगी।

v) साधारण निकाय को सोसायटी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का विस्तार करने के लिए बिना पूर्वगामी के प्रतिकूल प्रभाव डाले पूरी शक्तियां एवं कर्तव्यों द्वारा निम्नलिखित कार्यों को पूरा करना होगाः-

(क) सोसायटी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के भीतर सोसायटी के उचित कार्यकरण के लिए सामान्य नीति दिशा-निर्देशबनाना;

(ख) सोसायटी के नियमों एवं विनियमों को बनाना, संशोधन और परिवर्तन;

(ग) उनके समक्ष और उनके विचार एवं संस्वीकृति हेतु कोई विषय।

3. <u>शासी परिषद के सदस्यः-</u>

(i) परिषद में ग्यारह सदस्य होंगे। परिषद के सभी सदस्यों को सोसायटी का सदस्य माना जाएगा। शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन, मंत्रालय (एमओयूडुपीए) समय-समय पर परिषद के गठन को अधिसूचित करेंगे।

1. सचिव, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन, मंत्रालय, पदेन अध्यक्ष
2. सचिव, (व्यय), वित्त मंत्रालय या उनके नामांकित व्यक्ति, पदेन सदस्य
3. सचिव, विधि मंत्रालय या उनके नामांकित व्यक्ति, पदेन सदस्य
1. सचिव, कार्मिक मंत्रालय या उनके नामांकित व्यक्ति, पदेन सदस्य
2. संयुक्त सचिव (स्टाफ कल्याण), कार्मिक मंत्रालय या उनके नामांकित व्यक्ति, पदेन सदस्य
3. संयुक्त सचिव (आवास), शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय, उनके नामांकित व्यक्ति, पदेन सदस्य
4. संयुक्त सचिव (वित्त), शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन, मंत्रालय, उनके नामांकित व्यक्ति, पदेन सदस्य

5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हुडको या उनके नामांकित व्यक्ति, पदेन सदस्य
6. जेसीएम के राष्ट्रीय परिषद के नामांकित व्यक्ति, पदेन सदस्य
7. सोसायटी के मुख्य अधिकारी, पदेन सदस्य
8. सोसायटी के कोषाध्यक्ष, पदेन सदस्य

सोसायटी के पंजीकरण के एक साल के भीतर इस खंड के अनुसार, एमओयूईपीए परिषद का पुनर्गठन कर सकती है।

i) सोसायटी के प्रत्येक सदस्य सोसायटी की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के पात्र होंगे।
ii) सदस्यों द्वारा सोसायटी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

<u>शासी परिषद का कार्य एवं शक्तियां</u>

4. सोसायटी के कार्यों के प्रबंध परिषद में निहित होंगे और परिषद द्वारा पूर्वगामी व्यापकता पर प्रतिकूल असर डाले बिना परिषद का कार्य एवं शक्तियांः

(क) सोसायटी के कार्यों का प्रबंध और उन्हें चलाना;
(ख) आवश्यक स्टाफ और उनकी सेवा शर्तों को मंजूर करना;
(ग) सोसायटी की अधिशेष निधियों के निवेश के लिए नीति बनाना;
(घ) सोसायटी के वार्षिक बजट और खातों को मंजूर करना;
(ड.) लेखापरीक्षकों को नियुक्त करना एवं उनके पारिश्रमिक को तय करना;
(च) कार्यपालक समिति, क्षेत्र समितियां, मुख्य कार्यपालक, कोषाध्यक्ष या सोसायटी के अन्य किसी अधिकारी (यों) को कार्य शक्तियों का प्रत्यायोजन।

5. अध्यक्ष के जरूरी समझने पर परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन यह बैठक एक साल में एक बार जरूर होगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, परिषद के वरिष्ठतम सदस्य की अध्यक्षता में परिषद की बैठक होगी। अध्यक्ष या परिषद के वरिष्ठतम सदस्य जो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे होंगे, उनके पास मताधिकार का अधिकार होगा बैठके के लिए चार सदस्यों की गणपूर्ति होगी।

6. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, साल में एक बार परिषद के उन सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय संबंधी सूची को सोसायटी के रजिस्ट्रार के यहां दायर करनी होगी, जिन्हें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 4 के अनुसार, सोसायटी के कार्यों का प्रबंध करने की जिम्मेदारी दी गई है।

7. परिषद की बैठक के लिए कम से कम 7 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।

8. परिषद द्वारा असाधारण बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है या विशेष प्रयोजन के लिए परिषद के चार सदस्यों से कम नहीं की मांग/मंजूरी पर जिसे अधिसूचित किया गया हो, बैठक बुलाई जा सकती है।

9. अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथि, समय और स्थान पर सोसायटी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीनों के भीतर वार्षिक आम बैठक परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी।

<u>वितरण द्वारा संकल्प पारित करनाः</u>

10. इन नियमों में अन्य प्रकार से उपलब्ध, परिषद या कार्यपालक समिति के सभी सदस्यों को लिखित में संकल्प का वितरण करना जैसा भी मामला हो, ओर परिषद या कार्यपालक समिति की बैठक

में उपस्थित होने की हकदारी और बहुमत से मंजूर संकल्प वैध और प्रभावी होगा यदि यह विधिवत तरीके से आयोजित परिषद या कार्यपालक समिति में पास हुआ हो।

<u>कार्यकारी समिति:</u>

11. सोसायटी की कार्यकारी समिति निम्नलिखित रूप से गठित होगी, जो पदेन सदस्य होंगेः-

संयुक्त सचिव (आवास)	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय,	अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (वित्त)	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय,	सदस्य
संयुक्त सचिव (स्टाफ कल्याण)	कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय	सदस्य
हुडको के नामित व्यक्ति		सदस्य
जीसीएम के राष्ट्रीय परिषद के नामित व्यक्ति		सदस्य
राज्य स्तर का प्रतिनिधि	सलाहकार समिति	सदस्य
कोषाध्यक्ष		सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी		सदस्य

कार्यकारी समिति का कार्यकरणः

12. (क) परिषद द्वारा जारी किसी विशेष निदेशों की शर्त पर, कार्यकारी समिति सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जरूरत को पूरा करने के लिए आवास योजना तैयार करेगी औ सोसायटी के दैनिक कार्यों पर ध्यान देगी। नियमन के लिए नियमों या दिशा-निर्देशों को बनानाः-

i) सोसायटी के संस्था स्मरण पत्र के उद्देश्य खंड के अनुसार आवासों के लिए आवेदनों का पंजीकरण।
ii) आवासीय योजनाएं;
iii) स्टेशनों/शहरों जहां पर आवासीय योजनाओं का काम किया जाना;
iv) आवेदकों द्वारा जमा और भुगतान/आवेदकों से 100/-रू0 का प्रतिदेय प्रवेश शुल्क लेना/आवेदकों द्वारा सोसायटी की सदस्यता का दावा अधिकार के रूप में किया जा सकेगा।
v) आवेदनों की वापसी;
vi) लगाए जाने वाला दंड;
vii) आवसों का आबंटन ;
viii) आबंटितियों द्वारा आवासों का निपटान;
ix) आवासीय योजनाओं में सामूहिक सेवाओं का अनुरक्षण;
x) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को नगद ऋण उपलब्ध कराने के लिए;
xi) अन्य कोई विषय;

(ख) कार्यकारी समिति द्वारा सोसायटी के खातों और वित्त पर विचार एवं जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट परिषद को देगी।

(ग) परिषद द्वारा मंजूर बजटआकलन और तय की गई सीमा के भीतर विविध आकस्मिक मदों के व्यय को मंजूरी कार्यपालक समिति, आवश्यकता पड़ने पर सोसायटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को व्यय की मंजूरी का अधिकार दे सकती है।

(घ) परिषद द्वारा बनाई गई नीति के अनुसर अधिशेष निधियों का निवेश, निकालना, बनाना, स्वीकार्य, पृश्ठांकन, रियायत, निष्पादन और वचनबंध पत्र, विनिमय बिलों और परक्राम्य या हस्तांतरण उपकरणों को जारी करना।

(ड.) परिषद द्वारा अनुमोदित आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति।

(च) कार्यपालक समिति उन सभी अन्य विषयों पर विचार करेगी जिन्हें परिषद द्वारा उसे दिया गया होगा।

(छ) सोसायटी के निर्माण और विकास कार्य तथा क्षेत्रीय समितियों के कार्यों पर कड़ी निगरानी रखना और निर्धारित समयावधि के अनुसार विकास कार्य, निर्माण और निरीक्षण सारणी और अन्य गतिविधियां चल रही है को सुनिश्चित करना।

(ज) कार्यपालक समिति उचित समझने पर अपनी ओर से विनिर्दिष्ट विषयों पर काम करने के लिए उपसमितियों को नियुक्त कर सकती है।

(झ) कार्यपालक समिति द्वारा राज्य सरकारों और/या सार्वजनिक और निजी एजेंसियों और/या भूमि मालिकों, सहकारियों से भूमि अधिग्रहण, इमारतों/फ्लैटों तथा भुगतान किए जाने वाले मुआवजा/या कीमत का मोलभाव करेगी।

(ञ) प्रतिभूमि के बिना और प्रतिभूति के साथ धन उधार लेना।

<u>कार्यकारी समिति की बैठकें:</u>

13. अध्यक्ष द्वारा जब कभी आवश्यक समझा जाएगा कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई जा सकेगी लेकिन यह बैठक तिमाही में एक बैठक से कम नहीं होगी। अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक समिति के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी ओर वे मत दे सकेंगे। चार सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति पूरी मानी जाएगी।

14. (i) परिषद द्वारा एमओयूईपीए, जेसीएम के नामित व्यक्तियों और हुडको के आंचलिक/क्षेत्रीय प्रमुख कीतीन से पांच सदस्यों वाली राज्य स्तरीय सलाहकार समितियों की नियुक्ति की जा सकती है। एमओईयूपीए के नामित व्यक्ति प्रत्येक ऐसी समिति के सचिव सदस्य होंगे। सलाहकार समिति द्वारा उसके क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवासीय आवश्यकताओं के बारे में आवश्यक पुनर्निवेषन उपलब्ध कराएगी और आवासीय योजनाओं को बनाने और उसके संवर्धन के लिए कार्यपालक समिति की सहायता करेगी।

(ii) परिषद आवासीय योजनाओं को आरंभ करने और उसे लागू करने के लिए कम से कम तीन सदस्यों वाली क्षेत्रीय समितियों की भी नियुक्ति कर सकती है। क्षेत्रीय समितियों से सदस्य एमओईयूपीए, जेसीएम के नामित व्यक्ति, इंजीनियर और/या वित्त संवर्ग से होंगे। एमओयूईपीए के नामित व्यक्ति क्षेत्रीय समिति के सदस्य सचिव होंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारीः-

15. एमओयूईपीए द्वारा पूर्णकालिक (मुकाअ) नियुक्त किा जाएगा जो भारत सरकार में निदेशक से नीचे के पद का न हो। वह सोसायटी के सामान्य दैनिक प्रशासनिक प्रशासनिक/प्रकार्य के कार्य करेंगे और परिषद तथा कार्यपालक समिति के सचिव के तौर पर कार्य करेंगे।

16. उपरोक्त में उल्लेखित कार्यों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना मुख्य कार्यपालक अधिकारीः

(क) उन्हें सौंपी गए सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यपालक समिति के माध्यम से परिषद के प्रति जिम्मेदार होंगें।

(ख) परिषद या क्षेत्रीय समितियों या अन्य समिति या उपसमिति जिनकी नियुक्ति की जा सकती है, के समक्ष, उन सभी विषयों जिन पर उनके द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, संज्ञान मे लाना।

(ग) अस्वस्थता के कारण या परिषद के अध्यक्ष या कार्यपालक समिति के अध्यक्ष द्वारा बैठक में भाग लेने की छूट दी गई हो, जैसा भी मामला हो, परिषद/कार्यपालक समिति आदि की ऐसी बैठकों में भाग लेना होगा और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तों को रिकॉर्ड करना होगा।

(घ) परिषद की ओर से सभी प्रकार के पत्राचार और सभी संविदाओं को निष्पादित करना।

(ड.) सोसायटी द्वारा चलाई गई योजनाओं के लाभार्थियों से प्राप्त धन के लिए परिषद और कार्यपालक समिति के प्रति जिम्मेदार होंगे।

(च) जब कभी भी वह कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे वे सोसायटी द्वारा प्राप्त किसी प्रकार के धन को बिना किसी देरी के जमा करेंगे और खातों को संभालेंगे।

(छ) आवासीय गतिविधियों के मामलों पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में रहना।

(ज) निरीक्षण और निर्माण में गुणवत्ता, निर्माण की देख रेख और निरीक्षण सारणी को सुनिश्चित करना।

कोषाध्यक्ष

17. एमओयूईपीए द्वारा कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी जो भारत सरकार के उप वित्तीय सलाहकार से नीचे के पद के नहीं होंगे और वह मुकाअ के प्रति जिम्मेदार होंगे।

18.1 कोषाध्यक्षः-

(क) अस्वस्थता के कारण या उसके अध्यक्ष द्वारा बैठक में भाग लेने की छूट दी गई हो, परिषद/कार्यपालक समिति आदि बैठकों में भाग लेना होगा और जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार सोसायटी के खातों और वित्तीय संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी।

(ख) वह लाभार्थियों द्वारा दिए जाने वाले सभी अंषदानों और सोसायटी की योजनाओं के विधिवत एकत्रीकरण और परिषद/कार्यपालक समिति के निर्णयों के अनुसार राशि के संवितरण की देख रेख के

लिए जिम्मेदार होंगे। वे सोसायटी की नगदी, चैक बुक, मुहर और प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के सभी उचित एवं विधिवत एहितयातन उपाय सुनिश्चित करेंगे। प्राप्त धन को बिना किसी देरी के सोसायटी के बैंक खाते में जमा कराएंगे।

(ग) परिषद/कार्यपालक समिति/मुकाअ अधिकारी के लिए वित्तीय गतिविधियों की आवधिक रिटर्न तैयार करेंगे। जब कभी उन्हें कहा जाएगा वह सोसायटी के कार्यकरण के किसी भी पहलू का वित्तीय विश्लेषण भी तैयार करेंग।

(घ) सोसायटी का वार्षिक बजट और अंतिम वित्तीय लेखों को तैयार करेंगे।

(ड.) लेखा कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करेंगे।

18.2 <u>अध्यक्ष की शक्तियांः</u>

समय-समय पर शासी परिषद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का अध्यक्ष द्वारा उपयोग किया जाएगा।

19. आय का स्रोत एवं निधियों का उपयोगः-

सोसायटी की निधियों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

i) सोसायटी के उद्देश्यों को बढ़ाने में सरकार द्वारा दिया गया अनुदान;
ii) अन्य स्रोतों से सोसायटी को प्राप्तियां जिसमें उधार राशि या बिना प्रतिभूति की राशि शामिल हैं;
iii) निवेशों से आय ;
iv) अन्य स्रोतों से अंशदान;

<u>बैकिंग व्यवस्थाः</u>

20. परिषद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय बैंकों में सोसायटी अपना बैंक खाते का प्रचालन करेगी। सोसायटी के कोषाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या परिषद द्वारा अनुमोदित अन्य अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से बैंक खाते का प्रचालन किया जाएगा।

<u>बही खातेः</u>

21. कार्यपालक समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी राशि उचित खाता और अन्य संदर्भित अभिलेख रखें गए हैं और उसे सोसायटी द्वारा और उसकी ओर से खर्च किया गया है तथा उसके साथ सभी वाउचर लगे हुए हैं। बहीखातों/दस्तावेजों का रखरखाव उचित ढंग से किया जाएगा।

22. लेखाओं को 31 मार्च को बंद किया जाएगा और आय एंव व्यय खाता और तुलनपत्र को विधिवत लेखापरीक्षित करने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यपालक समिति की रिपोर्ट के साथ विधिवत लेखापरीक्षित लेखाओं को शासी परिषद की बैठक में उसकी मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>लेखापरीक्षाः-</u>

23. सोसायटी की वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक वर्ष के लिए सोसायटी के लेखापरीक्षकों को अगली वार्षिक आम बैठक के निष्कर्ष तक नियुक्त किया जाएगा और वही लेखापरीक्षक निरंतर अधिकतम तीन वर्षों की अवधि तक पुनर्नियुक्त करने के पात्र होंगे।

24. प्रतिष्ठित सनदीलेखाकारों की फर्म से लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया जाएगा।

25. लेखापरीक्षकों को सोसायटी के बहीखातों और वाउचरों को देखने की अनुमति होगी और कार्यपालक समिति से अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे।

26. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 4 के अधीन प्रत्येक वर्ष एक बार सोसायटी की गठित शासी परिषद के सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार सोसायटी के यहां दायर करनी होगी।

27. किसी भी समय यदि सोसायटी को विसर्जित किया जाता है तो सोसायटी की निवल संपत्ति को सदस्यों के बीच वितरित नहीं किया जाएगा, लेकिन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 13 एवं 14 के अनुसार, इसी प्रकार के उद्देश्यों वाले ऐसे किसी संगठन (नों) को संपत्ति को सौंप सकता है जैसा परिषद द्वारा निर्णय लिया गया हो।

<u>नियमों एवं ज्ञापन में संषोधनः-</u>

28. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 12 एवं 12-ए के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर सामान्य निकाय को इन किसी भी नियमों के साथ संस्था के स्मरणपत्र में संशोधन,परिवर्तन या उन्हें हटाने की शक्ति होगी।

<u>सोसायटी द्वारा और उसके खिलाफ अभियोगः-</u>

29. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के ग्ग्प् की धारा 6 के प्रयोजन के लिए, सोसायटी के मुकाअ वह व्यक्ति होंगे जिन पर अभियोग चलाया जा सकता है या जिन पर सोसायटी के नाम पर अभियोग चलाया जा सकेगा।

30. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, (1860 के XXI) के सभी प्रावधान जैसा संघ राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रवृत्त होंगे, केन्द्र सरकार कर्मचारियों के कल्याण आवास संगठन पर लागू होंगे।

"यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सोसायटी के नियमों और विनियमों की सही प्रति है"

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
शिवरामाकृष्णन	**ए.के. सामंतरे**	**के.सी.पी.आर.**
अध्यक्ष	**सचिव**	**रामाकृष्णन**
		कोषाध्यक्ष